न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप जिला–फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 250/2024
दायर दिनांक :– 18.10.2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/367
निर्णय दिनांक:– 25.09.2025

1. बिलालखां पुत्र ममुदखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. अमीनत पुत्री नवलेखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
2. अलाबचाया पुत्र ममुदखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
3. अलीशेर पुत्र नवलेखां उर्फ नभेखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
4. असरफ पत्नि मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
5. इकबाल पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
6. इजता पत्नि करीमखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
7. कासमखां पुत्र करीमखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
8. गुलामरसूल पुत्र नवलेखां उर्फ नभेखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
9. जैनफ पुत्री करीमखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
10. नूरदीन पुत्र करीमखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
11. बाबुराम पुत्र रेशमाराम जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
12. रमजानखां पुत्र करीमखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
13. लतीफखां पुत्र करीमखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
14. शकुरखां पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
15. सदीकखां पुत्र करीमखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
16. सहीदुल्ला पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
17. हजुर खां पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
18. हबीबों पत्नि नवलेखां उर्फ नभेखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
19. हुसैनखां पुत्र करीमखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
20. हासमखां पुत्र करीमखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
21. शाखा प्रबंधक एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड शाखा फलोदी
22. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बाप

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

1. श्री विरेन्द्रसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता
   अप्रार्थी संख्या 2,3,7,8,10,12,13,15,19,20

25.9.25
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय का पेश है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्व मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रार्थीगण को अपने हिस्से पर कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल दिया जाता है तो उससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 20 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 27.1382 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 20 एवं 12 ता 20 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त भूमि खेत खसरा नम्बर 247 रकबा 5.8922 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 248 रकबा 11.4688 हैक्टेयर सरहद मौजा इस्माईलखां की ढाणी पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। जिसे वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। नकल जमाबंदी संवत 2076–2079 व ट्रेस संलग्न वाद पेश है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 20 अपने उपरोक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 20 उपरोक्त अपने नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा, जिसका मुल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकता और न ही क्षतिपूर्ति ही संभव है। प्रार्थी गरीब है तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 20 साधन संपन्न एवं प्रभावशाली तथ संख्याबल में अधिक है जिनका मुकाबला करने में प्रार्थी असमर्थ है। इसलिये अप्रार्थीगण सं. 1 ता 20 को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 20 के विरूद्व इस आशय की जारी की जावे की ग्राम देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 117 रकबा 27.1382 हैक्टेयर तथा ग्राम इस्माईलखां की ढाणी पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 247 रकबा 5.8922 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 248 रकबा 11.4688 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण सं. 1 ता 20 स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिसका यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी

5.9.25

उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम देदासरी के खाता संख्या 51 सम्वत् 2076–79 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित सह खातेदार है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के सह खातेदारों होने से प्रत्येक खातेदार का इंच–इंच पर कब्जा है किसके हिस्से में कौनसी भूमि बंट में आती है इसका निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई उपरान्त की तय किया जाना है।

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम सुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सह काश्तकार है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी पक्ष में जारी नहीं की जाती है तो अपने हिस्से की भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूँकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है। प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन के दोनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी।

उ.ख.अ.
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ता 20 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि सरहद मौजा देदासरी तहसील बाप के खसरा नं. 117 रकबा 27.1382 हैक्टेयर तथा ग्राम ईस्माइलखां की ढाणी तहसील बाप के खसरा नं. 248 रकबा 11.4688 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक व हिस्सा तक दखल अंदाजी न करे व मौके व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

25.9.25

(सुखराम पिण्डेल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)